प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक –12.04.2021 (थाना कोतवाली नगर)

लगभग 40 लाख रू0 कीमत की 365 ग्राम अवैध स्मैक व बिक्री के 1,500/– रू0 के साथ 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री आकाश तोमर के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभय कुमार पाण्डेय** के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री रवीन्द्र नाथ राय व स्वाट टीम प्रतापगढ़ द्वारा महुली नहर के पास स्थित दीपक उर्फ गुड्डू सिंह के मकान के पास से एक व्यक्ति गौरी शंकर वर्मा उर्फ कल्लू वर्मा पुत्र रामकुमार नि0 मोहल्ला घोसियाना निकट मोनिका टाकिज थाना जायस जनपद रायबरेली, हाल पता मकान दीपक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह नि0 महुली, माधोगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 60 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर दीपक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र स्व0 रामशरण सिंह नि0 महुली माधोगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 305 ग्राम अवैध स्मैक के साथ उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

01 मु0अ0सं0 322/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम दीपक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह उपरोक्त।
02 मु0अ0सं0 323/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम गौरी शंकर उर्फ कल्लू वर्मा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. गौरी शंकर वर्मा उर्फ कल्लू वर्मा पुत्र रामकुमार नि0 मोहल्ला घोसियाना निकट मोनिका टाकिज थाना जायस जनपद रायबरेली, हाल पता मकान दीपक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह नि0 महुली, माधोगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

02. दीपक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह नि0 महुली, माधोगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी–

01. 365 ग्राम अवैध स्मैक (60 ग्राम अभि0 गौरीशंकर व 305 ग्राम अभि0 दीपक उर्फ गुड्डू के कब्जे से)।
02. अवैध स्मैक बिक्री के 1,500/– नकद (अभि0 गौरीशंकर के कब्जे से)

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त गौरी शंकर ने पूछताछ में बताया कि मुझे दीपक उर्फ गुड्डू सिंह द्वारा स्मैक की छोटी–बड़ी पुडिया बनाकर दी जाती है जिसे मैं क्रमशः 500/– रू0, 2,500/– रू0 व सबसे बड़ी पुड़िया को 10,000/– रू0 में बेंचता हूं, इसके लिए मुझे क्रमशः 100, 500 व 1,000/– रू0 कमीशन मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने पूछताछ में बताया कि मै यह मादक पदार्थ खरीदने/बेंचने का धंधा पिछलें 06–07 वर्षों से कर रहा हूं। यह स्मैक इनहौना रायबरेली से एक पण्डित जी से एक होटल/ढ़ाबे के पास से लेता हूं उनका नाम मै नही जानता। इस अवैध स्मैक बिक्री से जो पैसा मैने कमाया है उन पैसों से मैने मकान और अन्य सम्पत्तियां अपनी मां व रिस्तेदारों के नाम से अर्जित की हैं जिससे मै पकड़ा न जा सकूं।

अभियुक्त दीपक उर्फ गुड्डू सिंह का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0 624/14 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 530/16 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 214/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम–

- क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभय कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री रवीन्द्र नाथ राय, उ0नि0 विवेक कुमार मिश्रा, आरक्षी श्रीराम, आरक्षी अनुराग शुक्ला, आरक्षी अमित यादव व आरक्षी चालक राजकुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

- स्वाट टीम के मु0आरक्षी जाहिद खान, मु0आरक्षी महेन्द्र प्रताप, आरक्षी प्रवीण कुमार, आरक्षी अरविन्द दुबे, आरक्षी जागीर सिंह व आरक्षी राजेन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़।